तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी अपील डिक्री/टी.ए./3230/2003/बॉरा कल्याणप्रसाद बनाम गिरीराजप्रसाद	नम्बर व तारीख

न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

खण्डपीठ

श्री टीकमचन्द बोहरा, सदस्य

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थित –

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अधिवक्ता, प्रार्थी

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

–निर्णय–

दिनांक 09–02–2026

प्रार्थी ने यह नजरसानी प्रार्थना पत्र धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत मण्डल की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या–170/2002 कल्याण प्रसाद बनाम गिर्राज प्रसाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–12–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अपील विचारार्थ ग्रहण किए बिना ही खारिज कर दिया।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस नजरसानी प्रार्थनापत्र पर सुनी गयी।

विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी ने नजरसानी मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए मुख्य रूप से तर्क किया कि मण्डल हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27–12–2002 में कानूनी प्रावधानों की अवेहलना की है। माननीय खण्डपीठ ने अपील को एडमीशन स्तर पर ही प्रकरण के कानूनी एवं त्थयात्मक पहलुओं पर विवेचन किए बिना खारिज कर दिया, जबकि प्रकरण की विधिक स्थिति यह है कि वादी जग्जी का गोदपुत्र है तथा प्रार्थी द्वारा ही जगजी के जीवनकाल में सेवासुसरा की गई तथा अंतिम संस्कार व क्रिया क्रम आदि भी प्रार्थी द्वारा किया गया। इसी अनुरूप समस्त जाति, समाज व ग्राम में प्रार्थी को स्व. जगजी का पुत्र माना जाता रहा है तथा इसी अनुरूप बतौर दत्तक पुत्र आराजी जैर का नामान्तरणकरण भी स्वीकृत किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों एवं मण्डल न्यायालय द्वारा इस विधिक स्थिति पर गौर किए बिना आदेश पारित किए गए है। इसी अनुरूप विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा आगे यह भी तर्क किया कि प्रार्थी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 प्रथम सूची के तहत कोई प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में द्वितीय सूची के तहत भाई के लड़के को भी उत्तराधिकारी माना गया है। इस तथ्य पर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों एवं मण्डल न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है। इसी क्रम में आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर जग्जी के स्वर्गवास के उपरांत प्रार्थी का कब्जा काश्त रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी एडवर्स पजेशन के आधार पर भी आराजी जैर का खातेदार काश्तकार बन चुका है। मण्डल हाजा की खण्डपीठ द्वारा उपरोक्त विधिक स्थित को दरकिनार करते हुए प्रार्थी की द्वितीय अपील को ग्राह्यता के स्तर पर खारिज किया जाना स्पष्ट रूप से Error apparent on the face

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी अपील डिक्री/टी.ए./3230/2003/बॉरा कल्याणप्रसाद बनाम गिरीराजप्रसाद	नम्बर व तारीख

of record की श्रेणी में आता है। चूंकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया गया है इसके विपरीत मण्डल हाजा द्वारा द्वितीय अपील का निस्तारण गुणावगुण पर नहीं किया जाकर ग्राह्यता के स्तर पर ही किया गया है, जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। अतः नजरसानी प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर मण्डल की खण्डपीठ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को निरस्त करते हुए मूल अपील को पुनः नंबर पर लिए जाने के आदेश प्रदान किए जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा नजरसानी प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों का विरोध करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि मण्डल हाजा द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई के उपरान्त अपील के ग्राह्यता के स्तर पर प्रकरण के तमाम तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है और निर्णय में देखते ही कोई दृष्टव्य गलती हो ऐसा कोई मामला प्रथम दृष्ट्या जाहिर नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो तथ्य उठाये गये है जिसका निस्तारण मण्डल हाजा द्वारा पारित नजरसानीधीन आदेश में पूर्व में ही किया जा चुका है। नजरसानी प्रार्थना पत्र का दायरा सीमित होता है। न्यायालय द्वारा निर्णय हेतु लिया गया दृष्टिकोण गलत भी हो सकता है, तब भी उसे नजरसानी प्रार्थना पत्र का आधार नहीं बनाया जा सकता है। आदेश गलत है तो प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा मिथ्या कथनों के आधार पर नजरसानी प्रार्थनापत्र पेश किए गए है। जो काबिल निरस्तनीय है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में नजरसानी प्रार्थना पत्र एवं दौराने बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा गोदपुत्र के प्रश्न के साथ–साथ हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों एवं एडवर्स पजेशन आदि का उल्लेख किया गया है, उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आक्षेपों बाबत् मण्डल हाजा की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–12–2002 में विस्तृत रूप से विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया जा चुका है। नजरसानी में केवल निर्णय में कोई प्रथम दृष्टया देखते ही भूल/दृष्टव्य त्रुटि प्रकट हो तो ही स्वीकार किये जाने योग्य है। नजरसानीकर्ता द्वारा रिव्यू में उठाये गये आधार पहले ही अपील में तय किये जा चुके है तो वह बिन्दू अभिलेख के मुख पर त्रुटि की श्रेणी में नहीं है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 बाई एस.के. दत्त के 2018 के संस्करण की पुस्तक के पेज 617 के बिन्दू (ज) में यह व्यक्त किया है कि "किसी विवादित बिन्दू पर विधि का गलत दृष्टिकोण या विधि का गलत विवेचन या उचित कानून को लागू करने में असफलता को अभिलेख के मुख पर गलती या प्रकट त्रुटि नहीं कहा जा सकता।"

नजरसानी प्रार्थना पत्र में उठाये गये आधार पहले अपील में ही तय किये जा चुके है तो वह अभिलेख के मुख पर त्रुटि नहीं है और कोई नया बिन्दू नहीं उठाया तो नजरसानी का कोई आधार नहीं है। वैसे भी रिव्यू का क्षेत्राधिकार सीमित होता है रिव्यू में मामले के गुणावगुण पर सुनवाई नहीं हो सकती और ना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी अपील डिक्री/टी.ए./3230/2003/बॉरा कल्याणप्रसाद बनाम गिरीराजप्रसाद	नम्बर व तारीख

ही अपील में उठाये जाने वाले बिन्दू रिव्यू के माध्यम से पुनः उठायें जा सकते। प्रकरण में उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण द्वारा नजरसानी प्रार्थनापत्र के माध्यम से जो बिन्दु न्यायालय के समक्ष उठाए गए है उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण आक्षेपित निर्णय में किया जा चुका है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2024 पार्ट II में अभिलिखित किया गया है किः– Same grounds which were raised in the appeal cannot be taken in the review petition., इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2005 पार्ट I पेज 545 में अभिलिखित किया गया है किः– Code of Civil Procedure, 1908 - Order 47 Rule 1 - Review - Point that has been held and decided - view taken in the judgment may be erroneous but cannot be a ground for review.

प्रस्तुत प्रकरण में नजरसानी मीमों में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उन समस्त तथ्यों का निर्धारण नजरसानीधीन आदेश में किया जा चुका है। इस संबंध में विधिक स्थिति भी यही है कि पुर्नविलोकन में उठाये गये आधार पहले अपील में ही तय किये जा चुके है तो वह अभिलेख के मुख पर त्रुटि नहीं है और कोई नया बिन्दू नहीं उठाया तो पुर्नविलोकन का कोई आधार नहीं है। भूल से निर्णय पारित हुआ हो तो उसका पुर्नविलोकन किया जा सकता है परन्तु त्रुटिपूर्ण निर्णय का नहीं। वैसे भी रिव्यू का क्षेत्राधिकार सीमित होता है रिव्यू में मामले के गुणावगुण पर सुनवाई नहीं हो सकती और ना ही अपील में उठाये जाने वाले बिन्दू रिव्यू के माध्यम से पुनः उठायें जा सकते। रिव्यू अपील का माध्यम नहीं हो सकता। यदि निर्णय से कोई व्यक्ति / पक्षकार पीडित है तो सक्षम न्यायालय में उचित कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में मण्डल हाजा की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

परिणामतः उपरोक्त विवचेन की रोशनी में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थनापत्र को ग्राहयता के स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल होकर मूल अपील के साथ संलग्न रहें।

निर्णय प्रति मूल प्रकरण की पत्रावली में संलग्न की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

(टीकम चन्द बोहरा)
सदस्य